न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 275/10 (वाद)

GCMS No. : 2010/00032

1. श्री नेणा पिता किशना उर्फ किशन नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।
2. श्री अर्जुनलाल पिता किशना उर्फ किशनलाल नाई निवासी जेवाणा तह. मावली के बजाय :–

2/1 श्री प्रकाश पिता अर्जुनलाल नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।

2/2 श्री प्रभुलाल पिता अर्जुनलाल नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।

2/3 श्री छगनलाल पिता अर्जुनलाल नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।

2/4 श्री दिनेश पिता अर्जुनलाल नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।

2/5 श्रीमती प्रताबी पत्नी अर्जुनलाल नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।

2/6 श्रीमती तुलसी पिता अर्जुनलाल नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।

3. श्री सोला उर्फ सवलाल नाई निवासी जेवाणा के बजाय :–

3/1 श्री देवीलाल पिता सोला उर्फ सवलाल नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।

3/2 श्री राजु पिता सोला उर्फ सवलाल नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।

3/3 श्रीमती गीता पुत्री सोला उर्फ सवलाल नाई निवासी खेमपुर तह. मावली।

3/4 श्रीमती तारा पुत्री सोला उर्फ सवलाल नाई निवासी कुरज तह. रेलमगरा।

3/5 श्रीमती टमु पिता सोला उर्फ सवलाल नाई निवासी पीपली जिला राजसमन्द।

3/6 श्रीमती रूपी बेवा सोला उर्फ सवलाल नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री गणेश पिता नारायण नाई निवासी जेवाणा तह. मावली के बजाय :–

1/1 श्री भेरूलाल पिता गणेश नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।

1/2 श्रीमती रतु पुत्री गणेश नाई पत्नी छगनलाल नाई निवासी कांकरवा, फतहनगर जिला उदयपुर।

2. श्री राधाकिशन पिता नारायण नाई के बजाय :–

2/1 श्री सतु उर्फ सत्यनारायण पिता राधाकिशन नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।

2/2 कस्तुरी पुत्री राधाकिशन नाई निवासी गुडली तह. मावली।

2/3 श्रीमती चन्द्री पुत्री राधाकिशन नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।

2/4 प्रेमबाई पुत्री राधाकिशन नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।

3. श्री मोहनलाल पिता नारायण नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।
4. श्री नाथु पिता नारायण नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता वादीगण।

2. श्री देवराम डांगी, अधिवक्ता वादीगण।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:01:56 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक : 28.03.2023

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता किसना उर्फ किशन नाई व प्रतिवादीगण के पिता नाराण नाई दोनों सहादेर भाई भाई थे और स्वर्गीय उदा जी की सन्तान थें। हमारे परिवार में एक अमरचन्द नाई नाम का और व्यक्ति था वह निस्तान फौत हुआ उसके भी वारिस व उत्तराधिकारी भी हमारे पिता किसना उर्फ किशन नाई तथा नारायण जी पिता उदाजी नाई दोनों ही थें। उक्त कारणों से उदा जी के खाते की आराजीयात भी किसना उर्फ किशन एवं नाराण दोनों के नाम एवं अमरचन्द जी के खाते की आराजीयात भी ईन दोनों ही के नाम विरासत से अंकित होना चाहिए था किन्तु इसके विपरित उदा जी के नाम दर्ज आराजीयात खसरा नम्बर 3019, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435 किता 16 रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा नाराण के नाम दर्ज रेकार्ड कर दी गई जो इस समय विरासत से प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 4 के नाम अंकित हैं। अमरचन्द के नाम दर्ज आराजीयात खसरा नम्बर 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877 श्री किसन के नाम दर्ज कर दी गई जो विरासत से इस समय वादीगण के नाम अंकित हैं।
2. यह कि इस प्रकार दो कुंवों पर अलग–अलग खाते होते हुए भी प्रत्येक कुवे पर दोनों भाई श्री किशन नाई व नाराण नाई आधी–आधी जमीन सदीप से उनके जीवन काल तक व स्वर्गवास पश्चात् फरीकेन काश्तकार उपभोग उपयोग करते आये है जिसका विवरण इस प्रकार है :– (क) वादीगण के कब्जे काश्त में आराजीयात (i) अपने खाते की जमीन में से आराजी नम्बर 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874 किता 5 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा (ii) प्रतिवादीगण ने 1 से 4 तक के नाम दर्ज भूमियों में से आराजी नम्बर 3399, 3400, 3427, 3434, 3435 किता 5 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा (ख) प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 4 तक के कब्जे काश्त में आराजीयात (i) वादीगण के नाम दर्ज भूमियों में से आराजी नम्बर 1875, 1876, 1877 किता 3 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा (ii) उनके अपने खाते की दर्ज जमीन में से आराजी नम्बर 3396, 3426, 3430, 3431, 3432, 3433, 3398, 3397 किता 7 रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा (ग) आराजी नम्बर 1870

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:01:56 IST
Reason: SelfAttested

आ.चा. जो वादीगण के नाम दर्ज हैं तथा खसरा नम्बर 3396, 3428, 3429, 3019 ये चारो नम्बर जो प्रतिवादीगण के नाम अंकित हैं मीन जुमला आराजी किता 5 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 4 दोनो पक्ष की सामलाती हिस्सा हकसे होकर संयुक्त काश्त आधिपत्य में हैं।

3. यह कि उक्त बहस बंटवाडा अनुसार प्रत्येक पक्ष अपने अपने कब्जे मुन्द्रजा के अनुसार भूमियों का अपने जीवन काल से काश्त उपयोग उपभोग करते आये है। अतः हम वादीगण इन सभी विवादित भूमियों को सामलाती फरीकेन घोषित कराने बाह बंटवाडे अनुसार जिसका विवरण उक्त वादपत्र में है जिसको फिकरा (क) अनुसार भूमिया वादीगण के नाम व फिकरा (ख) अनुसार भूमिया प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 4 के नाम तथा फिकरा (ग) में वर्णित भूमिया सामलाती फरीकेन दर्ज राजस्व रेकार्ड कराये जाने के हम वादीगण अधिकारी हैं।

4. यह कि अभियान काल माह जून सन् 1992 में विवादित भूमिया सामलाती होने व बाहम बंटवाडे अनुसार प्रत्येक पक्ष के नाम दर्ज कराने के लिए दिनांक 25.06.1992 को ईकरार भी सम्पादित किये गये जिसकी फोटो संलग्न है किन्तु मामला एस.डी.ओ. न्यायालय के श्रवणाधिकार का होने से हमें सफलता नहीं मिली। अतः बिनाय दावा पैदा हुई हैं।

5. यह कि विकल्प में यह भी निवेदन है कि विवादित प्रत्येक भूमिया सामलाती होकर अरसे 12 वर्ष पूर्व से प्रत्येक पक्ष का अपने–अपने हिस्से की भूमियां अपने अपने स्वतन्त्र कब्जे काश्त निरन्तर निरावाद बिना किसी रोकटोक के चले आने से मुखालफाना कब्जे के आधार पर भी वह भूमिया उक्त वाद पत्र के फिकरा (क)(ख)(ग) अनुसार स्वतन्त्र खातेदारी में दर्ज कराये जाने के वादी अधिकारी हैं।

6. वादीगण प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 4 को मालिक बाहस बंटवाडा प्रत्येक के नाम अपने अपने हिस्से की भूमिया उक्त वर्णनानुसार दर्ज करा देने के लिए कई बार कहा किन्तु कोई परवाह नहीं की अतः बिनाय मुखास्मत आखरी बार कहने की तारीख 31.05.1994 पैदा हुई।

7. प्रार्थना वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण यह है कि यह घोषित कराया जावे कि विवादित भूमियां मुन्द्रजा वाद पत्र के फिकरा (क) (ख) संयुक्त फरीकेन की सामलाती खातेदारी अधिकार की हैं। विवादित भूमिया वादीगण के नाम फीकरा (ख) अनुसार भूमिया प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 4 के नाम तथा फिकरा (ग) में वर्णित भूमिया वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 4 पक्ष के नाम बराबर हकसे सामलाती दर्ज राजस्व रेकार्ड कराये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादीर कराई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:01:56 IST
Reason: SelfAttested

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि उदाजी के नाम यह आराजीयात विरासत से नाराण जी के नाम दर्ज हुई और नाराण जी के बाद विरासत से हम प्रतिवादीगणों के नाम रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज हुई व कथित आराजीयात हमारे कब्जे उपभोग में चली आ रही हैं। वाद पत्र में अंकित आराजीयात अमरचन्द के नाम दर्ज जो किशना के गोद रहने से अमरचन्द के फौत होने के बाद विरासत के आधार पर किशना के नाम रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज हुई जो विरासत से इस समय प्रतिवादीगण के नाम अंकित है जो स्वतन्त्र रूप से उनके कब्जे उपभोग में हैं। हम प्रतिवादीगणों का इस आराजीयात में कोई हक नहीं हैं। हम प्रतिवादीगणों के नाम विरासत से आराजीयात आई हुई है व हमारे कब्जे उपभोग में है हमारी फसले खडी है वादीगणों का इस आराजीयात पर कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है न आज हैं। संयुक्त फरीकेन की सामलाती खातेदारी की नहीं होकर फीकरा क में अंकित आराजीयात हम प्रतिवादीगणों के स्वतन्त्र खातेदारी व कब्जे उपभोग की है व फीकरा ख में अंकित आराजीयात स्वतन्त्र रूप से वादीगणों के खाते व उपभोग की है। फीकरा क, ख, ग के अनुसार वादीगण भूमियों का बंटवाडा घोषणा कराने का कोई अधिकारी नहीं है क्योंकि वादीगण व हम प्रतिवादीगणों के बीच कभी भी कोई आपसी पांती बंटवाडा नहीं हुआ है नहीं कोई इकरार हुआ हैं। वादी व अन्य कोई भी दाद पाने का अधिकारी नहीं है। वाद खारिज होने योग्य हैं।

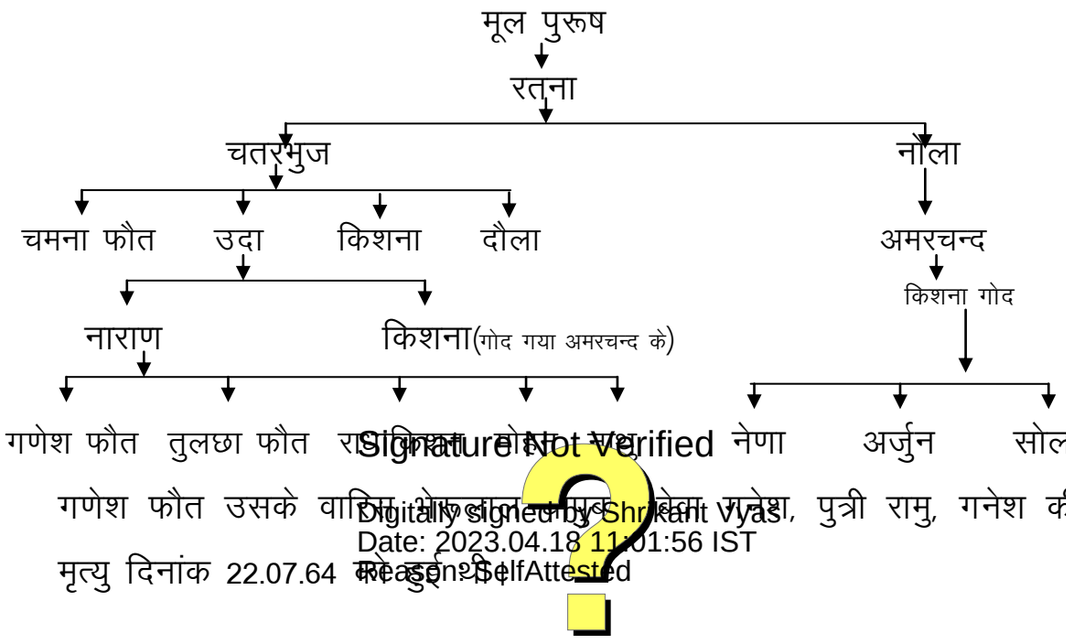

9. **विशेष कथन** प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगणों व वादीगणों का खानदानी सजरा निम्न प्रकार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:01:56 IST
Reason: SelfAttested

गणेश फौत उसके वारिस [illegible] गनेश, पुत्री रामु, गनेश की मृत्यु दिनांक 22.07.64 को हुई थी।

10. यह कि अमरचन्द नाम का एक व्यक्ति था जिसके पिता का नाम नोला उर्फ नवला था। अमरचन्द के लाऔलाद फौत हो जाने से अमरचन्द ने अपने जीवन काल में ही किशना पिता उदा को सं. 1665 में अमरचन्द ने किशना को अपने असली पिता उदा से गोद लिया था। किशना के अमरचन्द के गोद रहने से ही अमरचन्द की मृत्यु के बाद अमरचन्द की जायदाद से विरासत से रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज हुई किशना की मृत्यु के बाद वाद के ख माग में अंकित आराजीयात वादीगणों के नाम पर विरासत से आई हुई हैं। माग क में अंकित आराजीयात उदाजी की मृत्यु के बाद विरासत से नाराणजी के नाम पर अंकित हुई व उनकी मृत्यु के बाद हम प्रतिवादीगणों के नाम पर दर्ज हुई विरासत से जो हमारे खानदानी सजरे के बनुसार हमारे कब्जे उपयोग में चली आ रही है। चमना व दौला पिता चतरभुज लाऔलाद फौत हुए। वादीगणो ने महज हम प्रतिवादीगणों को जलील व परेशान कर जमीन हडपने की नियत से यह वाद गलत तथ्यों के आधार पर लगाया है।

11. वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ दस्तावेजात समझौता एवं बंटवाडा पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श 1ए, 2ए, रसीद की फोटोप्रति प्रदर्श 3ए से 5ए, गिरदावरी स्लिप की फोटोप्रति प्रदर्श 6ए पेश किये। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई।

12. वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में गवाह पी.डब्ल्यू–1 श्री वेणीराम, पीडब्ल्यू–2 श्री अर्जुन, पीडब्ल्यू–3 श्री हमेरसिंह, पीडब्ल्यू–4 श्री कालु, पीडब्ल्यू–5 श्री हीरादास, पीडब्ल्यू–6 श्री प्रतापसिंह, पीडब्ल्यू–7 श्री भूरालाल के शपथ पत्र पेश किये। गवाह से जिरह पूर्ण की गई।

13. प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावें के समर्थन में दस्तावेज गोदनामें की लिखतम नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित प्रदर्श डी1 पेश किये।

14. प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावें के समर्थन में गवाह डीडब्ल्यू–1 श्री नाथुलाल, डीडब्ल्यू–2 श्री अर्जुनलाल, डीडब्ल्यू–3 श्री मोहन, डीडब्ल्यू–4 श्री भेरूलाल, डीडब्ल्यू–5 श्री राधाकिशन के शपथ पत्र पेश किये। गवाह डीडब्ल्यू–1 से 4 से जिरह पूर्ण की गई।

15. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा लिखित बह[illegible] कर नारान एवं किशना स्व. उदा जी सन्तान होने से ना[illegible] हिस्से की घोषणा किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:41:56 IST
Reason: SelfAttested

जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर किशना अमरचन्द के गोद जाने से उदा की जमीन में कोई हित निहित नहीं होना बताकर वादीगण का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया।

16. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की लिखित बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वाद वर्णित भूमि पूर्व में उदा व अमरचन्द के नाम दर्ज थी। उदा चतरभुज की सन्तान है व अमरचन्द नोला की सन्तान हैं। उदा की 2 सन्ताने नाराण व किशना है व अमरचन्द के कोई सन्तान नहीं होने से अमरचन्द द्वारा उदा के पुत्र किशना को गोद रखा जो दस्तावेज प्रदर्श डी 1 से जाहिर होता हैं। अमरचन्द की मृत्यु के पश्चात् अमरचन्द के नाम दर्ज भूमि किशना के गोद आने से किशना के नाम दर्ज हुई। उदा की मृत्यु के पश्चात् उदा के नाम दर्ज भूमि किशना के गोद चले जाने से नाराण के नाम दर्ज हुई।

17. वादीगण द्वारा उदा की जमीन में अपने हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है जबकि दस्तावेज एवं पत्रावली के अवलोकन से किशना गोद चला गया था। किशना के गोद चले जाने से किशना उदा की सम्पति में कोई हक नहीं रखता हैं। अमरचन्द के नाम दर्ज भूमि गोदीपुत्र की हैसियत से किशना के नाम दर्ज हैं। किशना के गोद जाने से किशना अमरचन्द का वारिस हैं एवं अमरचन्द के नाम दर्ज भूमि में ही हक रखता हैं। चूंकि वादीगण द्वारा एडवर्स पजेशन एवं समझौता एवं बंटवाडा पत्र के आधार पर वाद प्रस्तुत किया हैं जबकि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी दिये जाने के प्रावधान नहीं हैं एवं समझौता एवं बंटवाडा पत्र प्रदर्श 1ए जो कि एक अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है। उक्त समझौता एवं बंटवाडा पत्र दिनांक 25.06.1992 को सम्पादित होना जाहिर होता है जबकि वादीगण के पिता किशना 1995 में अमरचन्द के गोद जाना जाहिर होता हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का समझौता एवं बंटवाडा पत्र स्वतः ही शून्य है। किशना के गोद जाने के कथन को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि गोदीना पुत्र की हैसियत से ही अमरचन्द के नाम दर्ज भूमि किशना के नाम दर्ज हुई। वादी द्वारा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी चाही गई हैं। समझौता बंटवाडा पत्र को प्रवर्तित कराने हेतु क्षैत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय का है, इस न्यायालय का क्षैत्राधिकार नहीं हैं। इ[illegible] प्र[illegible] प्रतिकूल/पुरानें कब्जे के आधार पर खातेदारी दिए जाने [illegible] काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:01:56 IST
Reason: SelfAttested

नहीं हैं। सिर्फ धारा 63 (1)(4) राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् खातेदारी अधिकार समाप्त होने के प्रावधान ही हैं। **"आर.आर.टी. 2011 पेज 721 के वृहत्त पीठ के निर्णय अनुसार राजस्व भूमि में लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की नवीनतम न्यायिक निर्देश आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने का प्रावधान ही नहीं होना वर्णित किया हैं। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने निर्णय आर.आर.डी. 14.06.2017 पेज 352 अनुसार इस प्रकार के प्रावधान नहीं होना माना हैं। स्पष्टतया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल दोनों द्वारा प्रतिकूल कब्जे या दीर्घकालीन कब्जें के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने का स्पष्ट विधिक निर्देश हैं एवं हिन्दू दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 के मुताबिक गोद लिए जाने के बाद लडका/लडकी का जैविक परिवार में कोई अधिकार नहीं रहता, इसके साथ–साथ वह जैविक पिता या रिश्तेदारों की सम्पति में हिस्सा भी नहीं मांग सकते।"** उक्त नजीरे इस प्रकरण पर चस्पा होती हैं। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2023 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:01:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

<u>न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर</u>

बईजलास श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.

<u>उनवान्</u>

1. श्री नेणा पिता किशना उर्फ किशन नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।
2. श्री अर्जुनलाल पिता किशना उर्फ किशनलाल नाई निवासी जेवाणा तह. मावली के बजाय :—

2/1 श्री प्रकाश पिता अर्जुनलाल नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।
2/2 श्री प्रभुलाल पिता अर्जुनलाल नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।
2/3 श्री छगनलाल पिता अर्जुनलाल नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।
2/4 श्री दिनेश पिता अर्जुनलाल नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।
2/5 श्रीमती प्रताबी पत्नी अर्जुनलाल नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।
2/6 श्रीमती तुलसी पिता अर्जुनलाल नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।
3. श्री सोला उर्फ सवलाल नाई निवासी जेवाणा के बजाय :—
3/1 श्री देवीलाल पिता सोला उर्फ सवलाल नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।
3/2 श्री राजु पिता सोला उर्फ सवलाल नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।
3/3 श्रीमती गीता पुत्री सोला उर्फ सवलाल नाई निवासी खेमपुर तह. मावली।
3/4 श्रीमती तारा पुत्री सोला उर्फ सवलाल नाई निवासी कुरज तह. रेलमगरा।
3/5 श्रीमती टमु पिता सोला उर्फ सवलाल नाई निवासी पीपली जिला राजसमन्द।
3/6 श्रीमती रूपी बेवा सोला उर्फ सवलाल नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।

..................वादीगण

बनाम

1. श्री गणेश पिता नारायण नाई निवासी जेवाणा तह. मावली के बजाय :—
1/1 श्री भेरूलाल पिता गणेश नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।
1/2 श्रीमती रतु पुत्री गणेश नाई पत्नी छगनलाल नाई निवासी कांकरवा, फतहनगर जिला उदयपुर।
2. श्री राधाकिशन पिता नारायण नाई के बजाय :—
2/1 श्री सतु उर्फ सत्यनारायण पिता राधाकिशन नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।
2/2 कस्तुरी पुत्री राधाकिशन नाई निवासी गुडली तह. मावली।
2/3 श्रीमती चन्द्री पुत्री राधाकिशन नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।
2/4 प्रेमबाई पुत्री राधाकिशन नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।
3. श्री मोहनलाल पिता नारायण नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।
4. श्री नाथु पिता नारायण नाई निवासी जेवाणा तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:01:56 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 275/10 (वाद) GCMS No. : 2010/00032

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.03.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 11:01:56 IST
Reason: SelfAttested